न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—209/2019/225 (2019/00209)

1- पवन कुमार पुत्र भागचन्द, जाति माली, निवासी गढ़ी मालियान, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. मंदिर श्री महादेव जी महाराज वाकै अजमेर स्थित नामालूम जरिये सरंक्षक देवस्थान विभाग, अजमेर ।
2. देवस्थान विभाग, अजमेर जरिये आयुक्त ।
3. तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विद्वान निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 22.5.2019 अंतर्गत वाद संख्या 78/2015.

उपस्थितः—

1. श्री पुष्पेन्द्रसिंह रावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 3.

निर्णय

दिनांकः— 31.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 22.5.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 15.3.2000 द्वारा अपनी दादी श्रीमती शांति देवी पत्नि श्योराम से प्राप्त हुई जिसका नामांतकरण संख्या 235 दिनांक 2.6.2000 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया गया । वादग्रस्त भूमि दान पत्र दिनांक 7.3.1949 द्वारा श्रीमती शांतिदेवी को प्राप्त हुई थी जो उनकी माता श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी मांगीलाल द्वारा पंजीकृत दानपत्र निष्पादित किया गया था । इस प्रकार 60 वर्षो से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट तथा इनके पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा था। जमाबंदी संवत् 2016 से 2018 में मंदिर श्री महादेव जी महाराज का वादग्रस्त भूमि तथा अन्य संबंधित खातेदारी की संलग्न आस—पास की भूमियों में 1/3 हिस्सा अंकित चला आ रहा था इसके अलावा गणेशीलाल वल्द चौथमल व रामेश्वरलाल वल्द हरदयाल व जस्सू बेवा गोपी किशन के नाम अंकन था तथा श्रीमती शांति पत्नि श्योराम का नाम

खातेदार के रूप में लंबे समय तक अंकित रहा । राज0 सरकार के आदेश व तहसीलदार के पत्र क्रमांक भू.स./माफी मंदिर/07/5991–6000 दिनांक 4.8.2007 एवं कलक्टर के पत्र क्रमांक राजस्व/07/9544–9597 दिनांक 6.8.2007 एवं तहसील के पृष्ठांकन पत्र भू.म./विविध/07/6148–6227 दिनांक 6.8.2007 की पालना में दिनांक 1.9.2007 के अनुसार अन्य भूमियों के साथ वादी/अपीलांट की खातेदारी भूमि को भी मंदिर श्री महादेव जी महाराज के नाम बिना अपीलांट को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये दर्ज कर दी गई जबकि अन्य खातेदारी भूमि तथा वादी की भूमि में पूर्व जमाबंदी संवत् 2016 से 2018 के अनुसार केवल 1/3 हिस्सा थान कि संपूर्ण भूमि मंदिर श्री महादेव जी महाराज की थी । इस तरह से उपरोक्त अवैध एवं अनाधिकृत इंद्राज को शून्य, निष्प्रभावी घोषित कराने हेतु तथा पुनः अपने नाम सही अंकन कराने हेतु अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । अप्रार्थीगण उक्त गलत एवं अवैध इंद्राज के आधार पर प्रार्थी/अपीलांट को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वसीकार कर अप्रार्थीगण विशेष रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण उनके अधिकारी, कर्मचारी, एजेन्ट आदि द्वारा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी की सीमाओं में किसी प्रकार का रद्दोबदल एवं परिवर्तन नहीं करे । विद्वान अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 22.5.2019 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण में अप्रार्थी/प्रतिवादी मंदिर श्री महादेव जी महाराज एवं देवस्थान विभाग तथा भूमिधारक तहसीलदार, अजमेर द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था बल्कि मंदिर महादेव तथा देवस्थान विभाग के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई थी जिसके पश्चात् भी प्रार्थी का हक, अधिकार वादग्रस्त भूमि में सुस्पष्ट एवं स्थापित होने के बावजूद भी प्रार्थना निरस्त कर दिया जो विधिविरूद्ध है । वादग्रस्त आराजी दिनांक 7.3.1949 के दान पत्र जो कि ग्यारसीदेवी पत्नी मांगीलाल द्वारा अपीलांट की दादी श्रीमती शांति पत्नी श्योराम के पक्ष में किया गया, से श्रीमती शांतिदेवी को प्राप्त हुई थी तथा शांतिदेवी ने वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पक्ष में दिनांक 15.3.2000 को वसीयत कर दी एवं शांतिदेवी का स्वर्गवास दिनांक 27.5.2000 को हो गया जिसके पश्चात् अपीलांट के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का नामांतकरण खोला गया एवं राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के नाम भूमि दर्ज हो गयी थी । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश दिनांक 6.8.2007 एवं 1.9.2007 की पालना में समस्त अन्य भूमियों के साथ अपीलांट की भूमि भी मंदिर श्री महादेव जी महाराज के नाम दर्ज कर दी गई जो विधि विरूद्ध एवं अवैध है । जमाबंदी संवत् 2016 से 2018 की जमाबंदी जो कि आधार जमाबंदी से पूर्व की जमाबंदी है में मंदिर महादेव का नाम इस खाते की अन्य भूमियों के साथ 1/3 हिस्सा अंकित था जबकि 3/4 हिस्सा अन्य खातेदारों के नाम था इस प्रकार से समस्त खाते की भूमियों को मंदिर के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता था एवं दर्ज करने से पूर्व सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया

जाना चाहिये था एवं सीमाज्ञान एवं राजस्व रिकार्ड के परिवर्तन के संबंध में उचित जांच एवं विधि की स्थिति का अवलोकन आवश्यक था जो नहीं अधी0न्याया0 ने धारा 212 का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि पर 70 वर्षो से अपीलांट एवं उनके पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है जिससे प्रथमदृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में था जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौके की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक था। यदि मौके की स्थिति बहाल नहीं रखी जाती है तथा अपीलांट को वादग्रस्त सम्पति से बदेखल किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी अपीलांट को ही होती है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट के पक्ष में मूल वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश जारी किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित भूमि मंदिर महादेव जी महाराज की खातेदारी की है । मंदिर शाश्वत नाबालिग है जिसकी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है तथा रिकार्डेड खातेदार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के घटक अपीलांट के पक्ष में नहीं पाये जाने से विद्वान अधी0न्याया0 ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजियात दिनांक 7.3.1949 के दान पत्र जो कि ग्यारसीदेवी पत्नी मांगीलाल द्वारा अपीलांट की दादी श्रीमती शांति पत्नी श्योराम के पक्ष में किया गया, से श्रीमती शांतिदेवी को प्राप्त हुई थी तथा शांतिदेवी ने वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पक्ष में दिनांक 15.3.2000 को वसीयत कर दी एवं शांतिदेवी का स्वर्गवास दिनांक 27.5.2000 को हो गया जिसके पश्चात् अपीलांट के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का नामांतकरण खोला गया एवं राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के नाम भूमि दर्ज हो गयी थी । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश दिनांक 6.8.2007 एवं 1.9.2007 की पालना में समस्त अन्य भूमियों के साथ अपीलांट की भूमि भी मंदिर श्री महादेव जी महाराज के नाम दर्ज कर दी गई जो विधि विरूद्ध एवं अवैध है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात मंदिर मूर्ति श्री महादेवजी महाराज के नाम दर्ज रिकार्ड है । विवादित आराजियात में अपीलांट को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इसका निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य होगा किन्तु वर्तमान में विवादित आराजियात मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज होने से अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता है । मंदिर मूर्ति शाश्वत रूप से नाबालिग है जिसकी आराजियात बाबत् यदि मंदिर मूर्ति को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी अपीलांट के बजाय मंदिर मूर्ति को होने की संभावना है । धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तीनों आवश्यक तत्व अपीलांट के पक्ष में नहीं पाये जाकर रेस्पो0 मंदिर मूर्ति के पक्ष में पाये जाते है । विद्वान अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को मध्यनजर रखकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील

अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.5.2019 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर